



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102022-239729
CG-DL-E-18102022-239729

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 18, 2022/आश्विन 26, 1944

No. 268]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 18, 2022/ASVINA 26, 1944

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2022

फा. सं. ओ-17/4/2022-निर्माण-3-यूडी.—जबकि दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 40 केंद्र सरकार को, मुख्य आयुक्त के परामर्श से, प्राकृतिक वातावरण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ सुलभता के मानकों को निर्धारित करते हुए दिव्यांगों के लिए नियम बनाने हेतु अधिदेशित करती है;

2. और जबकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने मार्च, 2016 में सार्वजनिक भवनों के लिए सुलभता मानकों को निर्धारित करते हुए दिव्यांगों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त निर्मित वातावरण के लिए सुसंगत दिशानिर्देश और स्थल संबंधी मानक (इसके बाद, सुसंगत दिशानिर्देश, 2016 के रूप में संदर्भित) को जारी किए;

3. और जबकि सुसंगत दिशा-निर्देश, 2016 को सार्वजनिक भवनों के लिए सुलभता के मानकों के रूप में दिनांक 15 जून 2017 को दिव्यांग सशक्तता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यथा-अधिसूचित दिव्यांग अधिकार नियमावली, 2017 के नियम 15 के उप-नियम (1) के तहत शामिल किया गया था।

4. और जबकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने हितधारकों और दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय के परामर्श से सुसंगत दिशानिर्देश, 2016 की समीक्षा की;

5. और जबकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को भारत में सार्वभौमिक सुलभता हेतु सुसंगत दिशानिर्देश और मानक 2021 जारी किए हैं;

6. अब, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इस तरह के अधिक्रमण से पहले किए गए या छोड़े गए कार्यों के अलावा सुसंगत दिशानिर्देशों, 2016 के अधिक्रमण में, भारत में सार्वभौमिक सुलभता के लिए सुसंगत दिशानिर्देश और मानक 2021 को एतद्वारा अधिसूचित करता है और cpwd.gov.in. पर उपलब्ध हैं।

जयदीप, विशेष कार्य अधिकारी (शहरी परिवहन)
और पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2022

F. No. O-17/4/2022-works-3-UD.—Whereas section 40 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) mandates the Central Government, in consultation with the Chief Commissioner, to formulate rules for persons with disabilities laying down the standards of accessibility *inter alia* for the physical environment;

2. And whereas, the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India in March, 2016 issued the Harmonised Guidelines and Space Standards for Barrier Free Built Environment for Persons with Disability and Elderly Persons (hereinafter, referred as Harmonised Guidelines, 2016) prescribing accessibility standards for public buildings;

3. And whereas, the Harmonised Guidelines, 2016 was included under sub-rule (1) of Rule 15 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 as notified by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment on 15th June, 2017, as standards of accessibility for public buildings;

4. And whereas, the Ministry of Housing and Urban Affairs reviewed the Harmonised Guidelines, 2016 in consultation with stakeholders and office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities;

5. And whereas, the Ministry of Housing and Urban Affairs have issued the Harmonised Guidelines & Standards for Universal Accessibility in India 2021 to all States or Union Territories Administrations;

6. Now, the Ministry of Housing and Urban Affairs hereby notifies the Harmonised Guidelines & Standards for Universal Accessibility in India 2021, in supersession of the Harmonised Guidelines, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession and available at cpwd.gov.in.

JAIDEEP, Officer on Special Duty (Urban Transport)
& Ex-Officio Jt. Secy.